

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -471/2024

अनवान : -

1. रामकुमार पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. कुरडाराम पुत्र मुलाराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. गंगोदवी पत्नी खिराज जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. दलीप कुमार पुत्र डालुराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. बादोदेवी पत्नी श्योलाल जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. भादरराम पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
7. मुकेश कुमार पुत्र डालुराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
8. मेघाराम पुत्र मुला जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
9. मन्जु पुत्री श्योलाल जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
10. राजपाल पुत्र खिराज जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
11. रावता पुत्र मुला जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
12. लिछमा पुत्री श्योलाल जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
13. श्रवण कुमार पुत्र खिराज जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
14. सावित्री पुत्री श्योलाल जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :- श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता वादी
श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: -14/10/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 30/34 के ख0न0 29 की 10.8750 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा पाण्डुसर के खाता स0 139/79 की कुल 12.9240 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण पक्षकारान का आपस में लगान कास्त एवं सीव का झगड़ा रहता है इसलिए वादी मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवाकर अलग से खाता कायम करवा पाने का अधिकारी है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर



वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को काफी समतल व उपजाऊ बना रखा है वादी अपने हक हिस्सा के अनुसार अपनी भूमि पर काबिज है। मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के अनुसार वादी अपना खाता व लगान अलग करवाना चाहता है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 6, 7, 10, 13 ने इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 15 ने परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।


साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा अधिवक्ता प्रतिवादी स0 3, 4, 6, 7, 10, 13 ने भी बहस में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। परोकार राज ने निवेदन किया की पक्षकारों द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 30/34 के ख0न0 29 की 10.8750 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा पाण्डुसर के खाता स0 139/79 की कुल 12.9240 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाशतकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 30/34 के ख0न0 29 की 10.8750 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा पाण्डुसर के खाता स0 139/79 की कुल 12.9240 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


- 1 दलीप कुमार पुत्र डालुराम हिस्सा 2.575 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा नोहर — ख0न0 29 की 0.4217,56 की 1.1003, 97 की 1.053 हैक्ट कुल किता 3 रकबा 2.575 हैक्ट


अधिवक्ता
नोहर

- 2 मुकेश कुमार पुत्र डालुराम हि० 2.575 जाति जाट सा० देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा नोहर – ख०न० 29 की 0.4218, 56 की 1.1003, 97 की 1.053 हैक्ट कुल किता 3 कुल रकबा 2.575 हैक्ट
- 3 भादरराम पुत्र मोमनराम हि० 5.1501 जाति जाट सा० देह खातेदार – ख०न० 29 की 0.8418 हैक्ट, 56 की 2.2002 हैक्ट, 97 की 2.109 कुल किता 3 रकबा 5.150 हैक्ट
- 4 श्रामकुमार पुत्र मोमनराम हि० 5.150 जाति जाट सा० देह खातेदार राहिन हिस्सा 5.150 रोहिन सम्पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना— ख०न० 29 की 0.8419, 56 की 2.2001, 97 की 2.108 हैक्ट कुल किता 3 कुल रकबा 5.150 हैक्ट
- 5 गंगादेवी पत्नी खिराज हि० 1.265 जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29 राहिन हिस्सा 1.265 पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर, श्रवण कुमार पुत्र खिराज हि० 1.8975 जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29 राहिन हिस्सा 1.8975 सम्पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर, राजपाल पुत्र खिराज हिस्सा 1.8975 जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29 राहिन हिस्सा सम्पूर्ण आईसीआईसीआई बैंक नोहर – ख०न० 29 कुल किता 1 कुल रकबा 5.060 हैक्ट
- 6 ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल हिस्सा 0.1644 जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29, बादो देवी पुत्र श्योलाल हि० 0.1644 जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29, मन्जू पुत्री श्योलाल हि० 0.1644 जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29, लिछमा पुत्री श्योलाल हि० 0.1644 सा० देह खातेदार ख०न० 29, लिछमा पुत्री श्योलाल हि० 0.1644 जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29, सावीत्री पुत्री श्योलाल हि० 0.1644 जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29 – ख०न० 29 कुल किता 1 कुल रकबा 0.822 हैक्ट
- 7 रावता पुत्र मूला हि० 0.822 जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29, मेघाराम पुत्र मूला हि० 0.822 हैक्ट जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29, कुरडाराम पुत्र मूला हि० 0.822 हैक्ट जाति जाट सा० देह खातेदार ख०न० 29 – ख०न० 29 कुल किता 1 कुल रकबा 2.466 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 14/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -471/2024

अनवान : -

1. रामकुमार पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. कुरड़ाराम पुत्र मुलाराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. गंगोदवी पत्नी खिराज जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. दलीप कुमार पुत्र डालुराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. बादोदेवी पत्नी श्योलाल जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. भादरराम पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
7. मुकेश कुमार पुत्र डालुराम जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
8. मेघाराम पुत्र मुला जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
9. मन्जु पुत्री श्योलाल जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
10. राजपाल पुत्र खिराज जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
11. रावता पुत्र मुला जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
12. लिछमा पुत्री श्योलाल जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
13. श्रवण कुमार पुत्र खिराज जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
14. सावित्री पुत्री श्योलाल जाति जाट साकिन पाण्डुसर तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 471 सन 2024 निर्णय दिनांक 14/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 30/34 के ख0न0 29 की 10.8750 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा पाण्डुसर के खाता स0 139/79 की कुल 12.9240 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


- 1 दलीप कुमार पुत्र डालुराम हिस्सा 2.575 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा नोहर - ख0न0 29 की 0.4217,56 की 1.1003, 97 की 1.053 हैक्ट कुल किता 3 रकबा 2.575 हैक्ट
- 2 मुकेश कुमार पुत्र डालुराम हि0 2.575 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा नोहर - ख0न0 29 की 0.4218, 56 की 1.1003, 97 की 1.053 हैक्ट कुल किता 3 कुल रकबा 2.575 हैक्ट
- 3 भादरराम पुत्र मोमनराम हि0 5.1501 जाति जाट सा0 देह खातेदार - ख0न0 29 की 0.8418 हैक्ट, 56 की 2.2002 हैक्ट, 97 की 2.109 कुल किता 3 रकबा 5.150 हैक्ट


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

- 4 श्रामकुमार पुत्र मोमनराम हि0 5.150 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 5.150 रोहिन सम्पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना- ख0न0 29 की 0.8419, 56 की 2.2001, 97 की 2.108 हैक्ट कुल किता 3 कुल रकबा 5.150 हैक्ट
- 5 गंगादेवी पत्नी खिराज हि0 1.265 जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29 राहिन हिस्सा 1.265 पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर, श्रवण कुमार पुत्र खिराज हि0 1.8975 जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29 राहिन हिस्सा 1.8975 सम्पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर, राजपाल पुत्र खिराज हिस्सा 1.8975 जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29 राहिन हिस्सा सम्पूर्ण आईसीआईसीआई बैंक नोहर - ख0न0 29 कुल किता 1 कुल रकबा 5.060 हैक्ट
- 6 ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल हिस्सा 0.1644 जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29, बादो देवी पुत्र श्योलाल हि0 0.1644 जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29, मन्जू पुत्री श्योलाल हि0 0.1644 जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29, लिछमा पुत्री श्योलाल हि0 0.1644 सा0 देह खातेदार ख0न0 29, लिछमा पुत्री श्योलाल हि0 0.1644 जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29, सावीत्री पुत्री श्योलाल हि0 0.1644 जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29 - ख0न0 29 कुल किता 1 कुल रकबा 0.822 हैक्ट
- 7 रावता पुत्र मूला हि0 0.822 जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29, मेघाराम पुत्र मूला हि0 0.822 हैक्ट जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29, कुरड़ाराम पुत्र मूला हि0 0.822 हैक्ट जाति जाट सा0 देह खातेदार ख0न0 29 - ख0न0 29 कुल किता 1 कुल रकबा 2.466 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर